न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 17/2025

अनवान :

1. सोहनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. दोलतराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. बिदामी पत्नी राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
5. मन्जू पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा। ।
6. मुक्ता पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
7. आरजु पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
8. देवेन्द्रकुमार नाबालिग जरिये माता बिदामी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
9. सन्तोषदेवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 452/440 के खसरा संख्या 153, 164, 486, 576, 785/89, 786/576, 789/164, 89 कुल खसरा 8 की 20.304 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम अकेले की बजाय वादी सोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम, प्रतिवादी संख्या 2 दोलतराम को 3/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4 बिदामी तथा प्रतिवादी संख्या 8 देवेन्द्रकुमार को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा 4 व 8 के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 तथा 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.08.2025 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 17/2025

अनवान :

1. सोहनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. दोलतराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. बिदामी पत्नी राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
5. मन्जू पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा। ।
6. मुक्ता पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
7. आरजु पुत्री राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा।
8. देवेन्द्रकुमार नाबालिग जरिये माता बिदामी पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
9. सन्तोषदेवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 9**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

निर्णय

दिनांक : 25.08.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 452/440 के खसरा संख्या 153, 164, 486, 576, 785/89, 786/576, 789/164, 89 कुल खसरा 8 की 20.304 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। जो पहले वादी के दादा हरिसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। हरिसिंह के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हो गई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:57 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में सोहनलाल पुत्र गोपीराम [illegible] जा[illegible]निवासी घेऊ तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] खाता संख्या 452/440 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र [illegible] घेऊ प्रदर्श 2, पैतृक जमाबंदी रोही मौजा घेऊ संवत 2071–74 खाता संख्या 440/416 प्र[illegible] 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamSca

प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 452/440 के खसरा संख्या 153, 164, 486, 576, 785/89, 786/576, 789/164, 89 कुल खसरा 8 की 20.304 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 3/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4 तथा 8 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा 4 व 8 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 तथा 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 तथा 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर आंशिक साबित होने पर आंशिक स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 452/440 के खसरा संख्या 153, 164, 486, 576, 785/89, 786/576, 789/164, 89 कुल खसरा 8 की 20.304 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम अकेले की बजाय वादी सोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम, प्रतिवादी संख्या 2 दोलतराम को 3/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 4 बिदामी तथा प्रतिवादी संख्या 8 देवेन्द्रकुमार को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा 4 व 8 के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 तथा 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner